



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

E-mail : eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 1962/7 सी०
सेवा में,

दिनांक 20 जून 2025

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा पोखरी-मेरगाँव से कपिलेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.025 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/11763/2015)

संदर्भ: भारत सरकार का पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/171/2016/664 दिनांक 08.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	1. बिन्दु संख्या-01 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मार्ग को गांव से आगे बढ़ाये जाने के संदर्भ में प्राचीन कपिलेश्वर मंदिर तक मार्ग एवं शमशान तक access कारण दिया है किन्तु अंतिम बिन्दु से मंदिर अभी भी 900 मी० से अधिक दर्शित होता है। अतः राज्य सरकार के अनुरोध है कि शमशान की location को के०एम०एल० फाईल पर इंगित करते हुये वर्तमान व्यवस्था पर अपना स्पष्ट प्रतिवदेन इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। साथ ही कृपया यह भी स्पष्ट करें कि उपरोक्त access हेतु 7 मी० चौड़ाई में मार्ग निर्माण की आवश्यकता क्यों है।	बिन्दु सं० 1 के अनुपालन में शमशान की के०एम०एल० अपलोड कर ली गयी है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अवगत कराना है कि वर्तमान में ग्रामवासी पैदल मार्गों से शव को शमशान घाट तक ले जाते हैं। वृक्षों के पातन को न्यून रखने के दृष्टिगत 7 मी० चौड़ाई में वृक्षों का गणना कार्य किया गया है।
2	Geo-referenced मानचित्र पर प्रस्तावित alignment में बिन्दु 18 से 29 के मध्य ग्राम गुठोली एवं बुसोरी को जोड़ा गया है। किन्तु के०एम०एल० फाईल का आवलोकन उपरान्त, यह प्रतीत होता है कि बिन्दु सं० 18 एवं 29 के मध्य existing bridle path एवं गैर-वन भूमि का उपयोग करते हुये संमरक्षण पर विचार नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त संमरक्षण पर तकनीकी रूप से आवश्यक जांच करने का कष्ट करें एवं वैकल्पिक संमरक्षण की विस्तृत जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	पूर्व निर्मित पैदल मार्ग से मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा प्रयास किये गये। चूंकि पैदल मार्ग के आस पास के भूमि स्वामी पूर्व से ही मार्ग से संयोजित है। अतः उनके द्वारा इस मार्ग हेतु अपनी निजी स्वामित्व की भूमि दिये जाने में आपत्ति की जिस कारण इस मार्ग हेतु वैकल्पिक संरक्षण का चयन की आवश्यकता हुयी।

3	बिन्दु संख्या-02 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा अभी तक C/B analysis नये प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि नये प्रारूप में C/B analysis इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है एवं ऑनलाईन पोर्टल पर पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 6 पर प्रपत्र अपलोड कर लिये गये हैं।
4	सी.ए. क्षेत्र का डी०एस०एस० विश्लेषण करने के उपरांत यह पाया गया है कि सी.ए. क्षेत्र का पैच-1 पूर्ण रूप से MDF क्षेत्र में आ रहा है जोकि सही प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सी.ए. क्षेत्र का विश्लेषण कर आवश्यक सुधार करने का कष्ट करें।	सी०ए० डिटेल ऑनलाईन पार्ट 1 के एल० सेक्शन में अपलोड कर ली गयी है।

भवदीय,

 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
 प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।